| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>अपील, विकास अग्रवाल बनाम सरकार (अति0जिला कलक्टर धौ0)<br>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 07/2021)<br>(जीसीएमएस न0 2021/11) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 22-6-21 | अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः सर्म्पक/आरटीआई./2021–22/150 दिनांक 26.5.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई बिन्दू संख्या 1 लगा0 2 की सूचना, अपीलार्थी श्री विकास अग्रवाल को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सम्पर्क/सू0अ0/2021/145 दिनांक 21.05.2021 के जरिये अपीलार्थी श्री विकास अग्रवाल को उपलब्ध करादी गई है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है जिस पर अपीलार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर हो रहे है।<br><br>अतः इस प्रकार अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 4.3.2021 को पेश की है जिसके पश्चात अपीलान्ट को सूचना दिनांक 21.5.2021 को उपलब्ध करादी गई है जिसके कारण उक्त अपील आगे चलने योग्य नहीं रहती। अपीलान्ट को सूचना प्राप्ति पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।<br><br>**(आर0 के0 जायसवाल)**<br>जिला कलक्टर, धौलपुर | |